भूमि सुधार उप समाहर्त्ता का न्यायालय, घाटशिला।

क्रमांक / तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई
02-01-2020	विविध वाद सं0–..18..(S.T.) / 2019–20 / CNT–46	

सागरी सरदार, पति–स्व0 हाबुल सरदार उर्फ हाबुल भूमिज एवं अन्य–02 ....आवेदिका

--------बनाम--------

मालोती टुडू, पति–भादो टुडू .... क्रेता

आदेश

छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा–46 के अन्तर्गत आवेदिका/ आवेदक (विक्रेतागण) सागरी सरदार, पति–स्व0 हाबुल सरदार उर्फ हाबुल भूमिज, (2) महाबीर सरदार, (3) तपन सरदार, दोनो के पिता–स्व0 हाबुल सरदार उर्फ हाबुल भूमिज, ग्राम–गोपालपुर (काटिंग पाड़ा), थाना–घाटशिला, जिला–पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, जाति– ''भूमिज'' (अ0ज0जा0) द्वारा निन्नलिखित विवरण की भूमि को क्रेता श्रीमती मालोती टुडू, पति–भादो टुडू, ग्राम–धरमबहाल, थाना–घाटशिला, अंचल–घाटशिला, जिला–पूर्वी सिहभूम, जमशेदपुर, जाति–''संथाल'' (अ0ज0जा0) को बिक्री हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए आवेदन दिया गया हैं:–

अंचल	मौजा	थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकवा
घाटशिला	उपर पावड़ा	116	117	114	10.98 डि0

संबंधित अंचल अधिकारी से जॉच प्रतिवेदन की मांग की गई। सर्व साधारण सूचना दिनांक–13 / 07 / 2019 के द्वारा आपत्ति की मांग की गई। इस अनुमति आवेदन के विरूद्व किसी को कोई आपत्ति हो तो वे दिनांक 27 / 07 / 2019 तक आपत्ति दायर कर सकते हैं।

अंचल अधिकारी, घाटशिला के पत्रांक–718, दिनांकः 06 / 09 / 2019 द्वारा जांच प्रतिवेदन एवं नोटिस का तामिला प्राप्त हैं। उक्त वर्णित भूमि का अन्तरण पर किसी के द्वारा अपत्ति नही दी गई हैं। जांच प्रतिवेदन एवं प्राप्त दस्तावेज के अनुसार वर्णित भूमि हगरू भूमिज, पिता–जितु भूमिज के नाम पर हाल सर्वे 1964 के खतियान में दर्ज हैं। जमीन का किस्म गोड़ा तीन दर्ज है। आवेदिका/ आवेदक उपस्थित होकर बताया कि भूमि पर किसी भी प्रकार का न्यायालय में वाद नहीं चल रहा हैं। आवेदित भूमि हगरु भूमिज के नाम पर खतियान तथा पंजी–2 में दर्ज है। आवेदित भूमि बिक्री के बाद उनके पास लगभग 7.00 एकड़ से अधिक भूमि अवशेष बचता हैं। मुखिया, धरमबहाल ग्राम पंचायत का आवेदित भूमि से संबंधित वंशावली प्राप्त हैं। प्राप्त वंशावली के अनुसार आवेदिका/आवेदक ही उक्त भूमि का उत्तराधिकारी हैं। इसके संबंध में आवेदिका सागरी सरदार, पति–स्व0 हाबुल सरदार उर्फ हाबुल भूमिज, श्री तपन सरदार पिता–स्व0 हाबुल सरदार उर्फ हाबुल भूमिज, तथा श्री महाबीर सरदार पिता–स्व0 हाबुल सरदार उर्फ हाबुल भूमिज सभी ग्राम–गोपालपुर (काटिंग पाड़ा), थाना–घाटशिला द्वारा संयुक्त रूप से शपथ पत्र संख्या–62, दिनांक–07 / 11 / 2019 दाखिल किया गया है।

आवेदिका / आवेदक (विक्रेतागण) एवं क्रेता सभी एक ही थाना क्षेत्र के हैं तथा अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। इसके संबंध में विक्रेता की ओर से अंचल

02/01/2020

अधिकारी का कार्यालय, घाटशिला द्वारा ऑन लाईन निर्गत सागरी सरदार, महाबीर सरदार एवं तपन सरदार का क्रमशः जाति प्रमाण–पत्र संख्या–JHCC / 2017 / 671290, दिनांक–15 / 06 / 2017,JHCC / 2017 / 698939, दिनांक–16 / 06 / 2017 एवं JHCC / 2017 / 659502, दिनांक–17 / 06 / 2017 तथा अनुमण्डल पदाधिकारी का कार्यालय, घाटशिला द्वारा ऑन लाईन निर्गत आवासीय प्रमाण–पत्र संख्या–JHRC / 2017 / 723982, दिनांक–20 / 06 / 2017, JHRC / 2017 / 750375, दिनांक–24 / 06 / 2017 एवं JHRC / 2017 / 780383, दिनांक–29 / 06 / 2017 एवं क्रेता की ओर से अनुमण्डल पदाधिकारी का कार्यालय, घाटशिला द्वारा ऑन लाईन निर्गत आवासीय प्रमाण–पत्र संख्या–JHRC / 2019 / 621945, दिनांक–31 / 07 / 2019 तथा अंचल अधिकारी, घाटशिला का कार्यालय द्वारा निर्गत जाति प्रमाण–पत्र संख्या–JHCC / 2019 / 577228, दिनांक–18 / 07 / 2019, तथा आधार कार्ड आदि की छायाप्रति संलग्न किया गया है। इसके आधार पर विक्रेतागण एवं क्रेता सभी अनुसूचित जन जाति के सदस्य है एवं सभी एक ही थाना क्षेत्र के निवासी है।

आवेदित भूमि बेचने के पश्चात आवेदिका / आवेदक के जीवन यापन के लिए पर्याप्त भूमि अवशेष बचता हैं। आवेदिका / आवेदक10.98 डी० भूमि को ऋण की वसूली अदायगी की प्रतिपूर्ति एवं अन्य घरेलु खर्च हेतु आवेदित भूमि कुल–10,50,000.00 / –(दस लाख पचास हजार) रूपये में बेचना चाहते है। मूल्य तालिका के अनुसार मौजा–उपर पावड़ा का आवासीय योग्य भूमि का सरकारी मूल्य प्रति डीसमल 15,000.00 रूपये निर्धारित है। इस प्रकार भूमि का कुल रकवा 10.98 डीसमल का विक्रय दर 1,64,700.00 रूपया होता है। तदनुसार क्रेता द्वारा विक्रेता को सरकारी दर से अधिक राशि में भूमि का बिक्री किया जा रहा है।

अतः प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी घाटशिला से प्राप्त जांच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा–46 के अन्तर्गत आवेदित भूमि मौजा–उपरपावड़ा, थाना नं0–116, खाता नं0–117 प्लॉट नं0–114, रकवा–10.98 डिसमल भूमि की अन्तरण हेतु आवेदिका /आवेदक (बिक्रेतागण) को इस शर्त के साथ अनुमति दिया जाता हैं कि क्रेता–बिक्रेता बिक्री की जाने वाली भूमि के हक / दखल / कब्जा / कोई विवाद के संबंध में उभय पक्ष स्वंय जिम्मेवार होगें।

लेखापित एवं संशोधित

02/01/2020

अधिनियम के अन्तर्गत उपायुक्त
–सह–
भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
घाटशिला।

02/01/2020

अधिनियम के अन्तर्गत उपायुक्त
–सह–
भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
घाटशिला।

C.C.A last order is issued.
06/01/2020